<u>**संख्या-82 / 2020 / 1527 / 69-1-19-2(म0ब0-83) / 2020**</u>

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 2020**

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से ''मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत'' जनपद-झांसी की 13 परियोजनाओ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5189 / 41 / 10 / छ: / विविध / 2017-18, दिनांक 19.11.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत"** वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-झांसी की नगर पंचायत, एरच, गरौठा, मोठ एवं कटेरा एवं नगर पालिका परिषद, गुरसहाय की मलिन बस्तियों में एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 13 परियोजनाओ, जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है, हेतु कुल **रू0 210.26 लाख** की **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात **रू0 105.13 लाख (रूपये एक करोड पांच लाख तेरह हजार मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117 / 2017 / 1279 / 69-1-17-14(31) / 2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश / व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर / सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर / सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों / योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉं, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा / डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना / आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस / 2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।

-2 /

http://shasanadesh.up.nic.in

6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2020 तक व्यय हो सके।
17. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसुचित जाति/जनजाति के लिए ही किया जायेग

-3/

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **''2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान''** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-9-59/दस-2020, दिनांक 10 फरवरी**, 2020** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-82/2020/1527(1)/69-1-19, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, झांसी।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-82/2020/1527(1)/69-1-19-2(म0ब0-83)/2020, दिनांक 13 फरवरी, 2020 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	झांसी	न0पं0, एरच	वार्ड नं0 02 मोहल्ला कुर्मियाना में चन्द्रशेखर के मकान सद्दारों कुंआ तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	18.56	9.28
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 06 मो0 कजयाना में रामदेवी धोबी के मकान से रामलाल खटीक के मकान तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	8.35	4.175
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 मोहल्ला कुर्मियाना में हनुमान गढ़ी से जल निगम बाउन्ड्री तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	9.76	4.88
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 मो0 मलाहीटोला में घनश्याम कारीगर के मकान से बेतवा नदी तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	9.23	4.615
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 06 मो0 कजयाना में जफर के मकान से मो0 हाजी लतीफ के मकान तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	14.95	7.475
योग				**60.85**	**30.425**
6	झांसी	न0पं0, गरौठा	बिहारी गुप्ता से सीताराम श्रीवास के घर तक शमशान घाट की ओर एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	48.16	24.08
योग				**48.16**	**24.08**
7	झांसी	न0पं0, मोठ	हरी माली के मकान से दयाल लल्ला के मकान तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	9.26	4.63
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 में जितेन्द्र के मकान से सुरेश के मकान तक शाहपुर रोड एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	5.75	2.875
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 में बटली की चक्की के आगे से रामस्वरूप पाल तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	15.75	7.875
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 में रामकिशुन बरार के मकान से बारी के बाग तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	12.10	6.05

http://shasanadesh.up.nic.in

योग				**42.86**	**21.43**
11	झांसी	न0पं0, कटेरा	वार्ड नं0 07 मो0 गढ़ीपुरा में श्री कालका प्रसाद कोरी के मकान से मनका वाले गोड़ बाबा के चबूतरे तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	40.09	20.045
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 में भईयन यादव के मकान से लेकर रेशम उद्योग तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	12.19	6.095
योग				**52.28**	**26.14**
13	झांसी	न0पा0प0, गुरसहाय	वार्ड नं0 04 में गोपाल अग्रवाल के मकान से ब्रह्म कुमारी मंदिर तक एपेक्स रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य।	6.11	3.055
योग				**6.11**	**3.055**
कुल योग				**210.26**	**105.13**

(रूपये एक करोड पांच लाख तेरह हजार मात्र)।

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in